न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 111/18

GCMS NO 2018/00253

1. अवध बिहारी पुत्र रामजीलाल
2. प्रेमेन्द्र कुमार रामजीलाल जातियान ब्राहम्ण निवासी कांचरोली हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई हिण्डोन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 17/13 निर्णय दिनांक 31.12.13 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल

अभिभाषक रैस्पो0 1 की और से पैरोकार सरकार

रेस्पो0 2 की और से कोई उपस्थित नही

दिनांक 29.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.12.13 न्यायालय उपजिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा आराजी ख0न0 1882 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम कांचरोली तहसील हिण्डौन सिटी मे बीएसएनएल का मोबाईल टावर लगाकर कृषि भूमि को आवासीय बनाया जा रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु दी गई है। इस शर्त को भंग करने के कारण अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी से बेदखल करने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी/तहसीलदार को दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/तहसीलदार द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजीयात से अप्रार्थीगण/अपीलांट को बेदखल कर आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट अधिवक्ता एवं सरकार की ओर से पैरोकार पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से खारिज योग्य है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.6.13 नियत की गई इसके पश्चात कौनसी तारीख दी गई इसका कोई हवाला नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांटान की और से वकालतनामा दिनांक 15.10.13 को पेश किया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे अप्रार्थी/अपीलांट बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने का अंकन किया गया है जो विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण मे बिना कानूनी प्रकिया अपनाये विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि मे बीएसएनएल का टावर बिना सक्षम स्वीकृति के लगाये जाने की रिपोर्ट की गई है परन्तु प्रार्थी/तहसीलदार द्वारा बीएसएनएल को प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है। इसलिए प्रकरण नोन जोइन्डर आफ नेसेसरी पार्टी होने से चलने योग्य नही है। खसरा न0 1882 वरवक्त कार्यवाही अपीलांट द्वारा ओ.बी.सी.बैंक शाखा हिण्डौन को रहन रखा हुआ था जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/तहसीलदार के बयान लिये गये ना ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये इस प्रकार बिना शहादत के पारित निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय पारित निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नही होने के कारण अपील मियाद बाहर प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमन एक्ट के साथ प्रस्तुत की गई है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

जबाब मे पैरोकार सरकार ने कथन किया अपीलांट द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के ही भूमि ख0न0 1882 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम काचरौली मे बीएसएनएल का टावर लगाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ बनाये जाने के कारण ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.1.13 प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 177 आर टी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये सम्मन अप्रार्थीगण/अपीलांट को तलब किया गया। परन्तु अप्रार्थीगण/अपीलांट बाबजूद तामिल मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकरण मे निर्णय विधि अनुसार पारित किया गया है। जो विधि सम्मत है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0न0 1882 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम कांचरोली तहसील हिण्डौन सिटी मे स्थित है। जो जमाबंदी सम्वत 2066–69 मे अपीलांट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 16.1.13 से भूमि मे बीएसएनएल का मोबाईल टावर लगाकर कृषि भूमि को आवासीय बनाया जाने का अंकन किया हुआ है। परन्तु ख0न0 1882 रकबा 0.14 है0 मे से कितने रकबे पर बीएसएनएल का टावर स्थापित किया हुआ है इस प्रकार का कोई उल्लेख पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे नही है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के बाबजूद तामिल मे उपस्थित नही होने के कारण ... अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट की और से दिनांक 15.10.13 को वकालतनामा श्री हरिवल्लभ चुर्तवेदी द्वारा शामिल किया गया है जो पत्रावली मे उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हल्का एवं तहसीलदार के बयान प्रकरण मे दर्ज़ नही किये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी का मु0न0 17/13 निर्णय दिनांक 31.12.13 आपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे भूमि के कितने हिस्से पर टावर स्थापित किया हुआ है इसके संबंध मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर, स्थापित टावर के रकबे के कनवर्जन हेतु प्रस्ताव अपीलांट से प्राप्त किये जाकर अपीलांट को भूमि के कन्वर्जन हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

29/10/24

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner